भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1765
(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

मीडिया द्वारा फैलाई गई गलत सूचना

1765. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मीडिया के कतिपय वर्ग प्रायः गलत सूचना और आधारहीन या अपुष्ट तथ्यातथ्य प्रसारित करने में लगे रहते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इससे सामाजिक अशांति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए ऐसी गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, जो भ्रामक विषय-वस्तु का प्रचार करते हैं और सामाजिक सौहार्द को खतरा पहुंचा सकते हैं, पर एआई द्वारा निर्मित वीडियो की बढ़ती चुनौती से किस प्रकार निपटने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार गलत सूचना के जानबूझकर और अत्यधिक प्रसार को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से निपटना सरकार का परम कर्तव्य है। गलत सूचना से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रिंट मीडिया:** समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा जारी "पत्रकारिता आचरण के मानदंडों" का पालन करना अनिवार्य है। ये मानदंड, अन्य बातों के साथ-साथ फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद

अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, मानदंडों के कथित उल्लंघनों की जाँच करती है और समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को, यथास्थिति, चेतावनी, फटकार या निंदा कर सकती है।

- **टेलीविजन मीडिया:** टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठे और विचारोत्तेजक संकेत और अर्ध-सत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021, में टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहाँ कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहाँ उचित कार्रवाई की जाती है।
- **डिजिटल मीडिया:** डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) एक आचार संहिता प्रदान करता है।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जाँच के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकृत स्रोतों से प्राप्त समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत, सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करती है।

*****